संख्या – 538/02/स0ग्रा0वि0वि0/2012–13

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समग्र ग्राम विकास विभाग सचिवालय सेल लखनऊ : दिनांक : 6 अगस्त, 2013

**विषय : डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों की चयन प्रक्रिया में आंशिक संशोधन किया जाना।**

महोदय,

प्रदेश में "**डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना**" लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्याः 447/66–2012–05/2012 दिनांक 17 मई, 2012 तथा 136/02/स0ग्रा0वि0वि0/2012 दिनांक 13 सितम्बर, 2012, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन हेतु शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2012 के प्रस्तर–2 के उपप्रस्तर–(4) को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

**(4) इस प्रकार प्राप्त तीन गुना संख्या के राजस्व ग्रामों की सूची जिलाधिकारी द्वारा जनपद के मा0 जिला प्रभारी मंत्री जी को चयन हेतु उपलब्ध करायी जाए। इस सूची के आधार पर जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा जनपद के समस्त मा0 सदस्य विधान सभा एवं मा0 सदस्य विधान परिषद से विचार–विमर्श करते हुए वर्षवार ग्रामों का चयन किया जाएगा।**

3– उपर्युक्त व्यवस्था डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन हेतु वर्ष 2014–15 से प्रभावी होगी। शासनादेश संख्याः 136/02/स0ग्रा0वि0वि0/2012 दिनांक 13 सितम्बर, 2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

Bhh

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–538(1)/02/स0ग्रा0वि0वि0/2012–13 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( नरेश बहादुर )
संयुक्त सचिव।